3- विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमे पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित हैं :-

प्रदेश स्तर पर विनिश्चय करने की प्रक्रिया में संयुक्त निदेशक स्तर के 1293 सामान्य तथा 883 पद विशेषज्ञ उपसंवर्ग (पुरूष) का विवरण निम्नवत् प्रस्तुत है:—

संयुक्त निदेशक सामान्य उप संवर्ग (पुरूष) श्रेणी—1 505 पद तथा श्रेणी—2 788 पद चिन्हित है, जिसमें श्रेणी—1 के अधीन मुख्य चिकित्सा अधिकारी के (70) पद नगर स्वास्थ्य अधिकारी—(70), जिला क्षयरोग अधिकारी (70) जिला कुष्ठ अधिकारी (70) संयुक्त निदेशक मण्डल स्तर 17 5=85, राज्य स्वास्थ्य संस्थान / जनविशलेषज्ञ 17 पद, प्राधानाचार्य आर०एफ०पी०टी०सी० 18 पद, संयुक्त निदेशक मुख्यालय हेतु 105 पद, इसी प्रकार श्रेणी—2 में अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी 70, भण्डार 70, प्रतिरक्षण 70, प्लान बजट 70, परिवार कल्याण / आर०सी०एच० 70, खाद्य / स्वास्थ्य 70, वेक्टर वार्न 70, प्रोटोकाल / परिवाहन 70, स्कूल हेल्थ / डी०एम०पी० 70, वरि० परामर्शदाता सामान्य जेल चिकित्सालय 60, पुलिस चिकित्सालय 17, पी०ए०सी० चिकित्सालय 20, संक्रामक रोग चिकित्सालय अयोध्या 6, कानपुर 6, मिर्जापुर 3, वरि० परामर्शदाता अन्य डिस्पेंसरी 46 पद हैं।

इसी प्रकार संयुक्त निदेशक विशेषज्ञ उपसंवर्ग पुरूष के निम्नलिखित पद प्रदेश चिकित्सालय हेतु चिन्हित/स्वीकृत है:-

वरि० परामर्शदाता जिला चिकित्सालय प्रत्येक में 10, कुल 700 पद अन्य चिकित्सालय 99 पद मुख्य चिकित्सा अधीक्षक विशिष्ट चिकित्सालय 5 पद, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जिला चिकित्सालय 57 पद, अन्य चिकित्सालय 10 पद, मुख्यालय हेतु 7 पद, तथा राज्य चिकित्सा विधि परिकोष्ट 5 पद चिन्हित/स्वीकृत पद अपर निदेशक वेतनमान 16,400—20,000 सामान्य उपसंवर्ग पुरूष के 50 पद, चिन्हित/स्वीकृत हैं जिसमें 24 पद मुख्यालय 17 मण्डलीय अपर निदेशक दो पद विशेष सचिव शासन स्तर पर मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी 6 पद तथा राज्य स्वास्थ्य संस्थान लखनऊ हेतु 1 पद स्वीकृत है, इसी प्रकार अपर निदेशक विशेषज्ञ उपसंवर्ग पुरूष के 40 पदों में से 7 पद मुख्यालय, 3 पद बलरामपुर चिकित्सालय लखनऊ यू०एच०एम० कानपुर हेतु तीन तद, एस०पी०एम० सिविल अस्पताल 2 पद, डा० राम मनोहर लोहिया चिकित्सालय लखनऊ 1 पद, ओपेक चिकित्सालय बस्ती 1 पद, राज्य विधि प्रकोष्ट 1 पद, मण्डलीय अपर निदेशक/प्रमुख अधीक्षक 15 पद तथा प्रमुख अधीक्षक मेडिकल कालेज आगरा, मेरठ, इलाहाबाद, गोरखपुर, झांसी, कानपुर में 1 पद कुल 6 पद अपर निदेशक विशेषज्ञ बलरामपुर चिकित्सालय तथा यू०एच०एम० कानपुर 2 पद, कुल 90 पद चिन्हित/स्वीकृत हैं।

प्रादेशिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा के अन्तर्गत निदेशक वेतनमान 18,400—500—22,400 में 20 पद चिन्हित / स्वीकृत हैं।

महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य के 02 पद वेतनमान 23,400-525-24,500 चिन्हित / स्वीकृत जिसमें 01 पद परिवार कल्याण कार्यक्रम हेत् तथा 01 पद चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाओं के लिये हैं।

चिकित्सालयों के कार्यों की गुणवत्ता व गतिशीलता बनाये रखने हेतु समय—समय पर मुख्य चिकित्साधिकारी तथा मुख्य चिकित्सा अधीक्षक / अधीक्षक द्वारा चिकित्सकों को समय—समय पर दिशानिर्देश देते हुये चिकित्सकीय कार्यो में गतिशीलता बनाये रखने हेतु दायित्वों का निर्वहन किया जाता है।

उच्च स्तर से पारित आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना तथा परिधिगत अधिकारियों को अवगत कराया जाना।

अनुभाग के कार्यों को सुचारू एवं गतिशील रूप से चलाने हेतु समय-समय पर संयुक्त निदेशक (मुख्यालय) एवं वैयक्तिक सहायक (प्रथम) द्वारा कार्यों का पर्यवेक्षण किया जाता है।

पुनरीक्षित राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम का राज्य स्तर पर अनुश्रवण राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन तथा राज्य क्षय नियंत्रण कार्यक्रम अधिकारी द्वारा किया जाता है। जनपद स्तर पर जिला स्वास्थ्य समिति तथा जिला क्षय रोग अधिकारी द्वारा कार्यक्रम का अनुश्रवण किया जाता है। ऐसे विकास खण्ड जिसमे नेत्र रोग की व्यापकता दर 02 प्रतिशत 10,000 जनसंख्या से अधिक हो वहाँ विशेष अभियान घर—घर सर्वेक्षण एवं प्रशिक्षण द्वारा नेत्र रोगियो को खोजकर नियमित उपचार प्रदान करके व्यापकता दर मे कमी लानी है।

राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा शत प्रतिशत पुरोनिधानित कार्यक्रम के रूप में प्रदेश में भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार संचालित है। भारत सरकार द्वारा कुष्ठ निवारण कार्य के प्रभावी अनुश्रवण एवं मूल्यांकन हेतु सरल सूचना पद्धित निर्धारित की है, जिसके अनुसार भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र मासिक भौतिक प्रगित प्रतिवेदन एवं मासिक वित्तीय प्रगित प्रतिवेदन प्राप्त कर कार्य का मूल्यांकन एवं अनुश्रवण किया जाता है।

- 1. जिला चिकित्सालयों से प्राप्त मासिक सूचना का संकलन एवं प्रेषण संबंधी कार्य एवं मूल्यांकन, अनुश्रवण आदि।
- 2. जिला एवं अन्य शहरी चिकित्सालयों के प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षकों की मासिक समीक्षा बैठक के आयोजन के माध्यम से कराना।
- 3. जिला चिकित्सालयों एवं अन्य शहरी चिकित्सालयों का निरीक्षण।

चिकित्सालयों के कार्यों की गुणवत्ता व गतिशीलता बनाये रखने हेतु समय—समय पर मुख्य चिकित्साधिकारी तथा मुख्य चिकित्सा अधीक्षका द्वारा चिकित्सकों को समय—समय पर दिशानिर्देश देते हुये चिकित्सीय कार्यो में गतिशीलता एवं दायित्वों का निर्वहन करने हेतु पर्यवेक्षण का भी कार्य किया जाता है।

उपचारिका प्रशिक्षण शासनादेश संख्या—166/5—13—96(1)/78, दिनांक 13.01.1997 के विनियम, प्रयोगशाला सहायक के प्रशिक्षण हेतु शासनादेश संख्या—1957/पॉच—6—2002— डब्लू—3/2001, दिनांक 07.08.2002, कार्यरत चिकित्साधिकारियों को दो वर्षीय प्रशिक्षण हेतु पी.जी. डिप्लोमा के चयन हेतु शासनादेश संख्या—2687(11)/चि—4—87—6—सा—83, दिनांक 03.06.1987 एवं समय—समय पर जारी शासनादेशों के अनुरूप चयन की कार्यवाही की जाती है।

केन्द्रीय औषधि भण्डार मुख्यतः औषधि समीक्षा समिति, केन्द्रीय क्रय समिति व उच्च स्तरीय क्रय समिति के माध्यम से अपने क्रय की प्रक्रिया संचालित करती है जिसमें उच्च अधिकारी व शासन का पर्यवेक्षण सम्मिलित रहता है।

उपरोक्त सभी कार्यो की गुणवत्ता व गतिशीलता बनाये रखने हेतु अधिकारियो द्वारा नियंत्रण / अनुश्रवण किया जाता है। इसके साथ ही साथ समय समय पर जनपद स्तर के अधिकारियों और मुख्यालय के अधिकारियों को शासन एवं भारत सरकार द्वारा प्रशिक्षण भी कराया जाता है। जिससे दायित्वों का निर्वाहन उचित ढंग से किया जाता है।

सिविल अभियंत्रण इकाई से सम्बन्धित कार्यों की गुणवत्ता व गतिशालता बनाये रखने हेतु इकाई के अधिकारियों द्वारा निरन्तर अनुश्रवण की प्रक्रिया का पालन किया जाता है तथा मुख्य चिकित्साधिकारीयों एवं प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षकों द्वारा उनके नियंत्रणाधीन चिकित्सालय भवनों में कराये जाने वाले सिविल कार्यों के पर्यवेक्षण एवं गुणवत्ता नियंत्रण में उपरोक्त अधिकारियों को सहयोग प्रदान किया जाता है।

मण्डलीय स्तर पर सहायक औषधि नियंत्रक, वरिष्ठ औषधि निरीक्षक एवं मुख्यालय स्तर पर औषधि नियंत्रक, उप औषधि नियंत्रक, पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण हेतु उत्तरदायी है।

विद्युत प्रकोष्ठ से सम्बन्धित कार्यों की गुणवत्ता व गतिशीलता बनाये रखने हेतु प्रकोष्ठ के अधिकारियों द्वारा निरन्तर अनुश्रवण की प्रक्रिया का पालन किया जाता है तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारियों एवं प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधिकिकों द्वारा उनके नियंत्रणाधीन चिकित्सा इकाईयों में कराये जाने वाले सम्बन्धित कार्यों के पर्यवेक्षण एवं गुणवत्ता नियंत्रण के दायित्व का निर्वहन किया जाता है।